



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों तौहिद, इब्ने, जुल्फिकार अली भुट्टो, इसरार, फारुक, छोटे, जुम्मा, इस्तकार, इसलामू व महताब को हुई 05-05 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-तौहिद पुत्र असलूप, 2-इब्ने पुत्र मंगते, 3-जुल्फिकार अली भुट्टो पुत्र मंगते, 4-इसरार पुत्र मंगते, 5-फारुक पुत्र कादम, 6-छोटे पुत्र जोन, 7-जुम्मा पुत्र साबू उर्फ सुबुद्दीन, 8-इस्तकार पुत्र साबू उर्फ सुबुद्दीन, 9-इसलामू पुत्र मंगते व 10-महताब पुत्र कयूम निवासीगण ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 659/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों तौहिद, इब्ने, जुल्फिकार अली भुट्टो, इसरार, फारुक, छोटे, जुम्मा, इस्तकार, इसलामू व महताब को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 05 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री राहुल नेहरा डीजीसी
जनपद बागपत



आरक्षी हरदीप कुमार कोर्ट
पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में मारपीट करने के आरोपी रविन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त रविन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम क्यामपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी व मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 19/2000 धारा 147/148/323/324/325/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रविन्द्र को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 24.01.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम

व पता:-

1-राहुल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

2-विकास पुत्र सुमन निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-दिलशाद पुत्र युसूफ निवासी पट्टी अमरान थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-अलीहसन पुत्र सफी निवासी खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना चाँदीनगर पुलिस टीम ।

2-थाना रमाला पुलिस टीम ।

3-थाना बडौत पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 24.01.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 भगौने, 01 जग, 01 प्लेट, 01 पलटा, 02 छलनी, 01 पैरात, 01 पौनी, 01 चमचा, 02 गैस सिलेण्डर व 790 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक - 18.01.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी सुनील कुमार शर्मा पुत्र भूदेव शर्मा निवासी पट्टी चक्रसैनपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी किसी अज्ञात चोर द्वारा विद्या निकेतन जू0हा0स्कूल खेकड़ा (बागपत) से बच्चों के लिए खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले सामान को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



2.दिनांक 23.01.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी संजीव कुमार पुत्र हुकम सिंह ग्राम प्रधान बसी उम्र करीब 54 वर्ष ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा रामू प्रधान बसी के घर के सामने से सोलर लाइट का बैटरी चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी

किये हुए 02 भगौने, 01 जग, 01 प्लेट, 01 पलटा, 02 छलनी, 01 पैरात, 01 पौनी, 01 चमचा, 02 गैस सिलेण्डर व सोलर बैटरा बेचकर प्राप्त रूपयों में से 790 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

नोट- उपरोक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नफीस उर्फ काला पुत्र अजमुद्दीन निवासी फ्लैट न0 09 काशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2. गुलफाम पुत्र अजमुद्दीन निवासी फ्लैट न0 6 काशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 भगौने, 01 जग, 01 प्लेट, 01 पलटा, 02 छलनी, 01 पैरात, 01 पौनी, 01 चमचा, 02 गैस सिलेण्डर। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत)
- सोलर बैटरा बेचकर प्राप्त रूपयों में से 790 रूपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत)

गिरफ्तार अभियुक्त नफीस उर्फ काला का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 59/24 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 26/20 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त गुलफाम का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 428/18 धारा 147/148/149/323/325/506 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3- का0 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4- का0 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 24.01.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 153/24 धारा 498ए/323/504/506/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-21.05.2024 को थाना खेकडा पर वादी सुधीर पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- मोहित, 2-राहुल, 3-लोकेन्द्र पुत्रगण पीतम, 4-पीतम पुत्र कबूल व 02 महिला निवासीगण पट्टी मुण्डाला करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उसकी पुत्री का दहेज के लिये उत्पीडन किया गया व उसके साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी एवं उसकी पुत्री की जहर देकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 498ए/323/504/506/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 153/2024 धारा 498ए/323/504/506/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 22-05-2024 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री कैलाश चन्द शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.मु0उ0नि0 यूटी रक्षा भारद्वाज थाना खेकडा जनपद बागपत।

3. है0का0 652 मोहित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4. का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 24.01.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 36 पाऊच देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 36 पाऊच देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

टोनी उर्फ गुलफाम पुत्र असगर निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 36 पाऊच देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0न0 श्री युद्धवार सिंह, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

2-है0का0 229 चमन सिंह, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

3-है0का0 150 दिनेश कुमार, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-24.01.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद हुयी है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पिंकी पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध छुरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 24.01.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पाउच देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पाउच देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ऋषिपाल पुत्र भुल्लन निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पाउच देशी शराब यूपी मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विपिन कुमार गौतम थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 24.01.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2)/118(1)/109/309(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.01.2025 को थाना बड़ौत पर वादी सराजूदीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम बड़का थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13.01.2025 को ग्राम बडका अण्डर पास के निकट कब्रिस्तान के पास 03-04 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र शहनवाज के साथ मारपीट कर चाकू मारकर गंभीर



रूप से घायल कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2)/118(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 109/309(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढौतरी की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2)/118(1)/109/309(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-वासु पुत्र राजकुमार निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-राजन पुत्र ओमप्रकाश निवासी पट्टी चौधरान थाने के पीछे कस्बा व बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-ध्रुव भारद्वाज पुत्र राहुल भारद्वाज निवासी पट्टी चौधरान थाने के पीछे कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

पूछताछ विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि वासु, राजन, ध्रुव भारद्वाज व अंकित पुत्र प्रवीन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम ट्योडी थाना बडौत, चारों आपस में दोस्त है । दिनांक 13.01.2025 को हम चारों 02 मोटर साईकिलो से घुमने निकले थे, जब हम ग्राम बडका की ओर जा रहे थे तो बडका अण्डर पास के पास एक व्यक्ति पैदल-पैदल ग्राम बडका की ओर जा रहा था। उसको लुटने के इरादे से हम उसकी तलाशी लेने लगे, तो उस व्यक्ति ने शोर मचा दिया, तब हम तीनों ने उस व्यक्ति को पकड लिया और अंकित ने अपने चाकू से उस व्यक्ति के शरीर पर कई बार किये, उसके बाद हम वहां से भाग गये थे ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्प्लेन्डर नं0 UP 17J 1247
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 प्लेटिना नं0 UP 17 B 7606

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 4-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत ।